

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फ़ैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : mdrmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmssc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/2835

दिनांक : 21/02/2024

आदेश

M/s Agron Remedies Pvt Ltd., Sarvarkhera, Moradabad Road, Kashipur, Uttarakhand-244713 से निविदा क्रमांक Tender F.02(330)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-20/2021/1266 दिनांक 16.07.2021 के तहत औषधि Calcium With Vitamin D Tablets USP /Calcium And Colecalciferol Tablets BP/Calcium And Vitamin D3 Tablets IP(Elemental Calcium 500 Mg, Vitamin D3-250 IU) (Non-Chewable)[622] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 679 दिनांक 28.04.2022 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा जाँच कराये जाने पर औषधि के बैच (CCV-223, CCV-203) को Dissolution test में अमानक कोटि का पाया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के बैच (CCV-223, CCV-203) को मानक कोटि का पाया गया।

उक्त बैचों को Testing हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैच (CCV-203) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 25.01.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने औषधि के एक बैच (CCV-203) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशांषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Agron Remedies Pvt Ltd., Sarvarkhera, Moradabad Road, Kashipur, Uttarakhand-244713 की औषधि Calcium And Vitamin D3 Tablets IP(Elemental Calcium 500 Mg, Vitamin D3-250 IU) (Non-Chewable)[622] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

Signature valid

RajKaj Ref
5587747



Digitally signed by Neha Guri
Designation : Managing Director
Date: 2024.02.21 17:53:23 IST
Reason: Approver

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2023-24/2835 दिनांक : 21/02/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच./आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/उत्तराखंड।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Agron Remedies Pvt Ltd., Sarvarkhera, Moradabad Road, Kashipur, Uttarakhand-244713
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

RajKaj Ref
5587747

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.02.21 17:53:23 IST
Reason: Approved